


(199)




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH --: शपथ - पत्र ::--

BH 412968

- (1) मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-
मेरा नाम :- डॉ. हीरालाल अलावा
पिता का नाम :- नानसिंह अलावा
जाति :- भिलाला
आयु :- 41 वर्ष
धंधा :- डाक्टर
निवासी :- ग्राम भैसलाय तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र।


हिजाशुभार्त अन्त
नं: नोदरी एडवोकेट-गंधवानी
R/O राधारमण कौलोनी, मनावर(धार)

- (2) मैं सत्य प्रतिज्ञा पर अपना निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-
यह कि न्यायालय श्रीमान VII सिविलजज महोदय वर्ग 1 भोपाल मध्य प्रदेश (श्री विधान महेश्वरी साहब) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक SCPPM/12/2023 डी के सक्सेना (देवेन्द्र कुमार सक्सेना) विरुद्ध हीरालाल अलावा धारा 500 भा.द.वि के तहत विचाराधीन गिन होकर तथा उक्त प्रकरण आरोप पूर्व तर्क हेतु दिनांक 07/12/2023 को सुनवाई हेतु नियत है इसके अलावा मेरे विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।



हस्ताक्षर शपथग्रहिता

--: सत्यापन लेख ::--

मैं शपथग्रहिता ब मुकाम मनावर में सत्य प्रतिज्ञा पर कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में लिखा समस्त विवरण मेरी निजी जानकारी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें न कोई बात असत्य लिखाई है और ना ही सत्य को छिपाया है।

इति दिनांक 21/10/2023

स्थान - मनावर


हस्ताक्षर शपथग्रहिता

९९५०
२१/१०/२३

दिलाल सिंह बानसी द शावक नि. गौरीधर त्रि. कुशी
२/५५५५

दो. - विद्यानि नि. सुशील परेका नि. पठकर

२०२३



प्रवीण पाटीदार
स्वंप केन्द्र
मनावर, जिला-धार

हिमांशुचन्द्र भक्त
नोटरी अधिनियम १९५२क अधिन नियुक्त
तथा अधिकृत नोटरी प्रमाणित करता हूँ

स कार्यालयान मुद्रा एवं हस्ताक्षर से दिनांक २१
माह १० मं-२०२३ धार गधवानी
जिला धार प्र, में नोटरीक किया भवक १४१२
२०२३


नाम- डॉ. शिरामजी (पिता/माता)
आयु- ५१ वर्ष जाति- ब्रिहस्पति जीविका (चिकित्सक)
निवासी- मंसूरपुर (क) जिला- धार
१ आज दि २१ माह १० मं-२०२३
स्वीकृति निष्पादित करना स्वीकार किया तथा
कोई गहत्व का गहरा प्रमाण न होने स्वीकार किया
इस व्यक्ति को श्री ओम साहू (पिता/माता) नि. मनावर
समस्त इकाय पर ०/१/२०२३

दस्तावेज प्रार्थी को पढकर सुनाया
उसके बाद नोटरी किया गया

हिमांशुचन्द्र भक्त
नोटरी अधिनियम १९५२क अधिन नियुक्त
R/O राधासमग कॉलोनी, मनावर (धार)

199


भारतीय गैर न्यायिक




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH --: शपथ पत्र ::--

BH 412968

- (1) मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-
मेरा नाम :- डॉ. हीरालाल अलावा
पिता का नाम :- नानसिंह अलावा
जाति :- मिलाला
आयु :- 41 वर्ष
धंधा :- डाक्टर
निवासी :- ग्राम भैसलाय तहसील कुशी जिला धार म.प्र।


हिमाशुचन्द्र अक्षत
नौद्वी एडवोकेट-गंधवानी
R/O राधारमण कॉलोनी, मनावर (धार)

- (2) मैं सत्य प्रतिज्ञा पर अपना निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-
यह कि न्यायालय श्रीमान VII सिविलजज महोदय वर्ग 1 भोपाल मध्य प्रदेश (श्री विधान महेश्वरी साहब) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक SCPPM/12/2023 डी के सक्सेना (देवेन्द्र कुमार सक्सेना) विरुद्ध हीरालाल अलावा धारा 500 भा.द.वि के तहत विचाराधीन गीन होकर तथा उक्त प्रकरण आरोप पूर्व तर्क हेतु दिनांक 07/12/2023 को सुनवाई हेतु नियत है इसके अलावा मेरे विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।



हस्ताक्षर शपथग्रहिता

--: सत्यापन लेख ::--

मैं शपथग्रहिता ब मुकाम मनावर में सत्य प्रतिज्ञा पर कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में लिखा समस्त विवरण मेरी निजी जानकारी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें न कोई बात असत्य लिखाई है और ना ही सत्य को छिपाया है।

इति दिनांक 21/10/2023

स्थान -- मनावर


हस्ताक्षर शपथग्रहिता

९९६०
२९/१०/२३

दिलाल सिंह बान्सीदे झाड़ा का नि. प्रमाणित - १९५२
शिमशम

दि. १० - अक्टूबर - २०२३
मनावर



प्रवीण पाठीदार
स्वयं केन्द्र
मनावर, जिला-धार

हिमांशुचन्द्र भक्त
नोटरी अधिनियम १९५२ के अधिन नियुक्त
तथा अधिकृत नोटरी प्रमाणित करता हूँ

२१. कार्यालयान मुद्रा एवं प्रस्तावना से दिनांक २१.
माह १० - अक्टूबर - २०२३ गंधवानी
जिला धार, म.प्र., में तस्दीक किया. अनुक्र. १४१२

नाम - डॉ. हीरामण झाड़ा पति - गोपाल
आयु ५१ वर्ष जाति - ब्रह्मण्य जीविका - चिकित्सा
निवासी - मोसामा कुंदा जिला - धार
आज दि २१ अक्टूबर २०२३ को नोटरी के शपथ पर
स्वीकृति निष्पादित करना स्वीकार किया तथा दस्तावेज पर
कोई महत्व का तथ्य छुपाया न हाना स्वीकार किया।

दस्तावेज प्राथमिक पढ़कर सुनाया
सबके बाद नोटरी किया गया

इस व्यक्ति को श्री ओमसोहन झाड़ा (आप) ने
समस्त दस्तावेजों को मनावर

हिमांशुचन्द्र भक्त
नोटरी अधिनियम १९५२ के अधिन नियुक्त
R/O गंधारमण बान्सीदे, मनावर (धार)